

न्यायालय— द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गोहदजिला—भिण्ड

(समक्ष : पी०सी०आर्य)

सिविल अपील क्रमांक: 01/2015

संस्थापन दिनांक 20/12/2014

फाइलिंग नंबर—230303000022015

1. श्रीमती शकुंतला देवी पत्नी कप्तानसिंह
आयु 69 साल,
 2. नागेश पुत्र कप्तान सिंह आयु 41 साल
 3. श्रीमती सर्वेश पत्नी नागेश आयु 38 साल
 4. कलियानसिंह पुत्र कप्तानसिंह आयु 39 साल,
 5. श्रीमती भारती पत्नी कलियान सिंह आयु 37 साल
 6. अजीत सिंह पुत्र कप्तानसिंह आयु 34 साल
 7. श्रीमती रैनू पत्नी अजीतसिंह आयु 33 साल
- समस्त जाति कौरव निवासी ग्राम टेटोन
परगना गोहद जिला भिण्ड

.....अपीलार्थीगण/वादीगण

वि रु द्ध

1. बाबूलाल पुत्र शान्तिलाल जैन आयु 67 साल,
जाति वैश्य निवासी भटेलेवाली गली वार्ड नं०-15
गोहद जिला भिण्ड म०प्र०
2. प्रहलाद सिंह पुत्र तुलाराम आयु 77 साल जाति कौरव
निवासी ग्राम टेटोन परगना गोहद जिला भिण्ड म०प्र०
3. म०प्र० शासन द्वारा—श्रीमान कलेक्टर महोदय
जिला भिण्ड म०प्र०

प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण

न्यायालय—श्री केशवसिंह, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग—एक,
गोहद द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक—58/13 ए०ई०दी० में
पारित आदेश दिनांक 27/11/2014 से उत्पन्न सिविल
अपील।

अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा श्री विजय श्रीवास्तव अधिवक्ता
प्रत्यर्थी क्रमांक 01 द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता उप०।
प्रत्यर्थी क्रमांक 2 एवं 3 पूर्व से एकपक्षीय।

—::— निर्णय —::—

(आज दिनांक 4 अक्टूबर 2016 को खुले न्यायालय में पारित)

1. अपीलार्थी/वादीगण द्वारा यह अपील श्री केशवसिंह व्यवहार न्यायाधीश वर्ग एक, गोहद द्वारा अपने न्यायालय के व्यवहारवाद क्रमांक-58/2013 ए०ई०दी० में दि.-27/11/2014 को पारित निर्णय से व्यथित होकर पेश की गयी है। जिसके द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण/अपीलार्थीगण का मूल वाद खारिज किया है, जिसमें वादी/अपीलार्थीगण द्वारा विवादित मकानियत की स्वत्व आधिपत्यधारी होने की घोषणा सहित पूर्व डिक्री की निष्पादन कार्यवाही को अपास्त करने की प्रार्थना की गई थी।
2. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है, कि जिस भूमि सर्वे क्रमांक 1939 एवं 1940 स्थिति ग्राम टेटोन तहसील गोहद का विवाद है उसके संबंध में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक गोहद के न्यायालय में सिविल वाद क्रमांक 54ए/2001 ई०दी० निर्णय, डिक्री दिनांक 28/06/2003 निराकृत हुआ था और उसके आधार पर आदेश 39 नियम 2(ख) सी०पी०सी० के अंतर्गत मू०दी० प्रकरण क्रमांक 08/09 चला था, जिसमें की गयी आपत्ति निरस्त हुई, यह भी स्वीकृत है, कि उक्त डिक्री हुये पूर्व वाद के निष्पादन की कार्यवाही विचाराधीन है।
3. विचारण न्यायालय में अपीलार्थीगण/वादीगण वाद संक्षेप में इस प्रकार का रहा है कि भूमि खसरा क्रमांक 1939 रकवा 0.06 हैक्टे एवं खसरा क्रमांक 1940 रकवा 0.130 हैक्टे जो ग्राम टेटोन परगना गोहद में स्थित है, जिस पर वादीगण का रिहायसी मकान बना हुआ है। जिसमें वादीगण/अपीलार्थीगण अपने पूर्वजों के समय से निवास कर रहे हैं। उक्त सर्वे नंबरों में बना मकान ही विवादित है। प्रतिवादी क्रमांक 01 का इस मकान से कोई संबंध व सरोकार नहीं है और न ही आज तक किसी भी हैसियत से उसका कब्जा या बर्ताव रहा है। प्रतिवादी कं०-01 ने काल्पनिक झूठे तथ्यों के आधार पर न्यायालय में दावा पेश किया था जो प्रकरण क्रमांक 54/01ए०ई०दी० पर संचालित होकर मौके पर कब्जा लिये बिना ही स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करके आदेश 39 नियम 02(क) सी०पी०सी० के अंतर्गत आवेदन पेश किया गया और उसमें इजरा की कार्यवाही करते हुए दखल वारंट जारी कर दिया गया है। जबकि स्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में कोई भी प्रवर्तन कार्यवाही आदेश 39 नियम 2 (क) सी०पी०सी० की कार्यवाही नहीं की जा सकती है और न ही उसमें दंडित किया जा सकता है, लेकिन न्यायालय सिविल जज वर्ग-02 गोहद के प्र०क० 08/09 मू०दी० में इजरा की कार्यवाही संचालित की गयी जिसमें आपत्ति भी की गयी लेकिन सभी आपत्ति बगैर साक्ष्य के निरस्त कर दी गई।

4. वादीगण/अपीलार्थीगण का यह भी कहना है, कि प्रतिवादी क्र०-01 करीब 40-50 वर्ष पूर्व से अपनी सारी जमनी जायदाद बेचकर गोहद चौराहे पर निवास कर रहा है, उसका आज तक विवादित भूमि पर कभी भी कब्जा बर्ताव नहीं रहा है। इसलिए वादीगण/अपीलार्थीगण ने प्रतिवादी क्र०-01 के कब्जा व बर्ताव में बाधा नहीं की है मात्र डिक्री के आधार पर कुर्की वारंट जारी किया गया है। तथा प्रतिवादी द्वारा वादी को ग्राम 12/07/13 को ग्राम टेटोन में जाकर यह धौंस भी दी गई कि मेरे पक्ष में डिक्री है और उक्त डिक्री के आधार पर तुम्हारा पुस्तैनी काल से बना हुआ मकान तुडवा दूंगा। प्रतिवादी क्रमांक 01 ने यदि जबरदस्ती मकान तुडवा दिया तो वादीगण बेघर हो जायेंगे। विवादित भूमि राजस्व अभिलेखों में कृषि भूमि लिखी हुई है, जबकि मौके पर ग्राम आबादी से लगी हुई भूमि है। जिस पर जमींदारी काल से मकान बना हुआ है इसलिए वादीगण के हित में इस आशय की डिक्री प्रदान की जावे कि विवादित मकान में वादीगण निवास कर रहे हैं, इसलिए वे उसके स्वामी व आधिपत्यधारी है तथा पारित डिक्री क्रमांक 54/01 ए०ई०दी० दिनांक 27/06/03 एवं डिक्री के आधार पर आदेश 39 नियम 2 (क) सी०पी०सी० का आवेदन जो प्रकरण क्र० 08/09 मु०दी० पर संचालित है, वह वादीगण के मुकाबले व्यर्थ होकर शून्य है, जिसे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किया गया था, जिससे व्यथित होकर वादीगण ने विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिविल वाद क्रमांक 58ए/13 में पारित निर्णय दिनांक 27/11/14 को अपास्त करने की प्रार्थना की गयी है।
5. प्रकरण में प्रतिवादी क्र० 01 की ओर से दावे का जबाव प्रस्तुत किया गया जो संक्षेप में इस प्रकार है, कि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के पूर्वजों के समय से या जमींदारीकाल से कभी भी कोई मकान नहीं बना था। वादीगण का मकान गांव की बस्ती के अंदर बना हुआ है, प्रतिवादी पूर्व में ग्राम टेटोन का रहने वाला होकर वैश्य जाति का है, अब वह वृद्ध होने के कारण व्यवसाय की दृष्टि से रोज-रोज के झगड़े के कारण गोहद में मय परिवार के साथ रहकर व्यवसाय कर रहा है। वादग्रस्त भूमि में वादीगण का कोई अंश व संबंध सरोकार नहीं है, प्रतिवादी की ओर से न्यायालय में दावा पेश किया था जो दोनों पक्षों की पूर्ण सुनवाई के बाद डिक्री हुआ है, तथा वादीगण द्वारा डिक्री का उल्लंघन किया गया है तो उसकी इजरा पेश की गयी है जो पूर्णतः सत्य व साही है, जिसमें वादीगण उपस्थित हुये और गलत आपत्तियां पेश कीं जो पूर्ण सुनवाई के बाद न्यायालय द्वारा अमान्य की गई। जिसके विरुद्ध वादीगण कभी भी वरिष्ठ न्यायालय में नहीं गये, और न ही कोई कार्यवाही की है, इसलिए पूर्व डिक्री व इजरा में पारित आदेश सही होकर प्रभाव में है। वादीगण सक्षम न्यायालय की वैधानिक डिक्री होते हुये डिक्री का उल्लंघन वाद भूमि पर कब्जा किया है, जिसकी इजरा प्रतिवादी की ओर से न्यायालय में पेश की गई है, जिसमें वादीगण को

दंडादेश दिया गया है, फिर भी वादीगण ने मुझ प्रतिवादी के वृद्ध एवं सीधेपन का नाजायज फायदा उठाकर यह दावा पेश किया है।

6. प्रतिवादी क्रं0-01 का अपने जबाव में आगे यह भी कहना है, कि प्रतिवादी वादग्रस्त भूमि को भाडे पर कराकर अपना कब्जा काश्त किये हुये है। वादग्रस्त भूमि की इजरा के वादी क्रमांक 01 ने गलत आपत्तियां पेश की हैं, जो न्यायालय द्वारा विधिवत पूर्ण सुनवाई करने के बाद निरस्त कर दी है। अब यह दावा पेश करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। वादी क्रं0-01 ने अपने परिवार के सदस्यों को पक्षकार बना कर यह गलत दावा पेश किया है जो पूर्व न्याय के सिद्धांत (Principle of Resjudiceta) से बच नहीं सकता है। वादीगण पारित निर्णय एवं डिक्री से प्रतिबंधित है, वादीगण ने गलत आधार लेकर यह गलत दावा पेश किया है, वादीगण लडाकू एवं झगडालू प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, विधि अनुसार उन्हें दावा पेश करने का कोई हक नहीं है। पूर्व वाद एवं वर्तमान वाद का विवाद एवं पक्षकार सारतत्त्य एक ही हैं पूर्व वाद सक्षम न्यायालय द्वारा पूर्ण सुनवाई के बाद निराकृत किया गया है, इसलिए वादीगण का वाद चलने योग्य न होने से सव्यय निरस्त किया जाये।
7. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्षों के अभिवचनों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर वादप्रश्नों की रचना करते हुए विचारण करते हुए गुणदोषों पर दिनांक 27/11/14 को घोषित निर्णयानुसार वादीगण/अपीलार्थीगण का वाद निरस्त किया, जिससे व्यथित होकर उक्त प्रथम सिविल अपील अपीलार्थीगण/वादीगण की ओर से पेश कर यह आधार लिया है, कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिविधान के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है, वादीगण/अपीलार्थीगण का विवादित मकान जमींदारी काल से बना हुआ है, और वादीगण/अपीलार्थीगण पीडी दर पीडी उसमें निवास करते आ रहे है। जिसकी पुष्टि प्र0पी0-03 के साथ प्रस्तुत रिपोर्ट से होती है, जिसका अवलोकन विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया, जबकि डिक्री की अनुसार प्रतिवादी क्रमांक 01 का कब्जा बर्ताव नहीं है। अतः डिक्री बोगस है और ऐसी बोगस डिक्री के आधार पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 39 नियम 2 (क) सी0पी0सी0 के अंतर्गत कार्यवाही की है, जो नहीं की जा सकती है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इन सभी तथ्यों पर गौर नहीं किया और साक्ष्य की सही रूप से विवेचना नहीं की, जिससे अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय निरस्ती योग्य है। अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा यह भी आधार लिया गया है, कि प्रतिवादी के द्वारा ऐसी कोई भी साक्ष्य पेश नहीं की गयी है, जिससे मकान पर प्रतिवादी क्रमांक 01 का कब्जा प्रमाणित होता हो, दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से वादीगण/अपीलार्थीगण का कब्जा प्रमाणित है, तथा वादीगण/अपीलार्थीगण विवादित मकान में निवास कर रहे है, इसलिए वे

उसके स्वामी व आधिपत्यधारी है तथा प्रकरण क्र० 54/01 ए०ई०दी० में पारित डिक्री दिनांक 27/06/03 के आधार पर आदेश 39 नियम 2 (क) का सी०पी०सी० का आवेदन पत्र जो प्रकरण क्र० 08/09 मु०दी० पर संचालित है, वह वादीगण/अपीलार्थीगण के मुकाबले शून्य है। अतः उपरोक्त आधारों पर वादीगण/अपीलार्थीगण द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27/11/14 को निरस्त की जाकर मूल वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

8. अपील के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि –

1. “क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांकित 27/11/14 विधि एवं तथ्यों के प्रतिकूल होकर अपास्त किये जाने योग्य है ?”

2. “क्या अपीलार्थीगण/वादीगण का मूल वाद डिक्री किये जाने योग्य है ?”

निष्कर्ष के आधार

9. उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिए एवं सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है।

10. वादीगण/अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में अपील ज्ञापन में उठाये गये बिन्दुओं और लिये गये आधारों के अनुरूप तर्क करते हुए व्यक्त किया है, कि उनके द्वारा ग्राम टेटोन स्थित भूमि सर्वे नंबर 1939 रकवा 0.09 हैक्टे० एवं 1940 रकवा 0.130 हैक्टे० में पूर्वजों के समय का जमींदारी काल से निर्मित मकान के स्वत्व छ गोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में दावा पेश किया था, जिसे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने गुण-दोषों पर कोई विचार किये बिना पूर्व निराकृत सिविल वाद क्रमांक 54ए/01 निर्णय डिक्री दिनांक 28/06/03 के आधार पर निरस्त कर दिया है, जबकि वे और उनके पूर्वज पीढीयों से मकान में निवास करते चले आ रहे हैं, जिससे प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्रमांक 01 का कोई भी संबंध व सरोकार नहीं है और पूर्व डिक्री के आधार पर आदेश 39 नियम 2(क) सी०पी०सी० का आवेदन पेश किया गया था। जिसमें इजरा की कार्यवाही करते हुए दखल वारंट जारी कर दिया गया है, जबकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, कि आदेश 39 नियम 2 (क) सी०पी०सी० के तहत किसी डिक्री का प्रवर्तन कराया जा सके। प्रत्यर्थी क्रमांक-01 डिक्री की आड में उनके मकान को तुड़वाने हेतु प्रयत्नशील है, जबकि उसके द्वारा प्राप्त की गयी डिक्री बोगस होकर शून्यकरणीय है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत तरीके से साक्ष्य की विवेचना की है, जबकि अभिलेख पर तहसीलदार द्वारा उक्त विवादित भूमि में प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण का चालीस साल से अधिक पुराना मकान जांच में पाया था और उसकी रिपोर्ट पेश की गयी थी। जिस पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने कोई ध्यान नहीं दिया है।

इसलिए अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे और मूल वाद डिक्री किया जावे।

11. प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्रमांक 01 की ओर से लिखित तर्क प्रस्तुत करते हुए वादीगण/अपीलार्थीगण के आधारों का खण्डन कर यह तर्क दिया है, कि प्रकरण क्रमांक 54ए/2001 ई0दी0 में पारित निर्णय व डिक्री गुणदोषों पर की गयी है। जिसमें मूल वादी कप्तान सिंह एवं प्रत्यर्थी क्रमांक 02 प्रहलाद सिंह पक्षकार थे, जिन्हें सुनवाई का पूर्ण अवसर मिला था, तथा उक्त निर्णय, डिक्री की कोई अपील नहीं की गई, जो अंतिम हो गयी है। वर्तमान वादीगण कप्तानसिंह की पत्नी, पुत्र एवं पुत्रवधु आदि हैं। जिन पर पूर्व न्याय(Principle of Resjudiceta) का सिद्धांत लागू होता है। वादीगण/अपीलार्थीगण द्वारा विचित्र स्वरूप की डिक्री चाही गई है, जो विधि अनुसार प्राप्त भी नहीं हो सकती है और पूर्व वाद में कोई प्रतिदावा भी नहीं किया गया था, इसलिए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने वाद निरस्त करने में कोई विधिक भूल नहीं की है और अपील बेबुनियाद होने से सव्यय निरस्त की जाये।
12. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के लिखित व मौखिक तर्कों पर चिंतन, मनन किया गया, अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख पर आई साक्ष्य और दस्तावेजों का अध्ययन किया गया, वाद की प्रकृति पर भी विचार किया गया वादीगण/अपीलार्थीगण के द्वारा पूर्व निर्णित सिविल वाद क्रमांक 57ए/01 निर्णय दिनांक 28/06/03 को चुनौती देते हुए, तहसीलदार के कब्जे के संबंध में जांच प्रतिवेदन को आधार बनाते हुए सर्वे क्रमांक 1939 में विद्यमान मकान बावत स्वत्व घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा चाही गई है, पूर्व डिक्री को बोगस व शून्यकरणीय बताया है और प्रकरण 08/09 की कार्यवाही को भी शून्य घोषित करने की प्रार्थना की गयी है, अभिलेख पर वादीगण/अपीलार्थीगण की ओर से मौखिक और दस्तावेजी दोनों प्रकार की साक्ष्य पेश की गई है, प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्रमांक 01 की ओर से खण्डन में स्वयं बाबूलाल प्र0सा0-01 द्वारा मौखिक साक्ष्य दी गई है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है, कि जहां दोनों पक्षों की ओर से साक्ष्य पेश की जाती है, वहां अभिलेख पर आई संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए, इस संबंध में न्याय दृष्टांत **ग्याराम विरुद्ध सीताबाई 1954 भाग-01 एम0पी0जे0आर0 पेज-148** में दिया मार्गदर्शन अवलोकनीय है, विचाराधीन मामले में भी इस न्यायालय की हैसियत प्रथम अपीलीय न्यायालय की है, इसलिए प्रथम अपीलीय न्यायालय को निष्कर्ष निकालने के लिए साक्ष्य का मूल्यांकन करना होता है। इसलिए विचाराधीन प्रथम सिविल अपील में उक्त सिद्धांत का पालन करना होगा और संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना होगा।
13. विचाराधीन अपील में मूलतः विवादित भूमि जो कि सर्वे नंबर

1939 और 1940 की बताई गई है, उसमें निर्मित मकान को लेकर ही विवाद उत्पन्न हुआ है। प्रकरण में पूर्व न्याय का सिद्धांत (Principle of Resjudiceta) का बिन्दु भी प्रत्यर्थी/प्रतिवादी की ओर से उठाया गया है, इस बिन्दु पर कोई दोमत नहीं है, कि पूर्व निराकृत सिविल वाद क्रमांक 54ए/01 निर्णय दिनांक 28/06/03 का वाद प्रत्यर्थी क्रमांक 01 बाबूलाल और कप्तानसिंह एवं प्रहलाद सिंह के विरुद्ध राज्य शासन को पक्षकार बनाते हुए स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बाबत पेश किया गया था। यह भी स्वीकृत तथ्य है, कि उक्त निर्णय डिक्री की कप्तान सिंह और प्रहलाद सिंह द्वारा कोई अपील नहीं की गई, जिससे अभिलेख पर प्रस्तुत पूर्व वाद के निर्णय, डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र०पी०-03 अंतिम हो गयी है, प्र०पी०-03 का अध्ययन करने पर उक्त निर्णय, डिक्री गुणदोषों पर प्रस्तुत की गई थी, क्योंकि उसमें बाबूलाल की ओर से मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश की गयी थी, वादी साक्षियों पर प्रहलादसिंह, कप्तान सिंह की ओर से प्रतिपरीक्षा हुई थी, उन्होंने खण्डन साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की थी। प्रहलाद सिंह के द्वारा तो उक्त डिक्री को कोई चुनौती वर्तमान में भी नहीं दी है और उसे कप्तान सिंह और उसके परिजनों द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये गये मूल वाद में औपचारिक प्रतिवादी बनाया गया है।

14. अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा मूल वाद में प्र०पी०-03 के पूर्व निर्णय, डिक्री को काल्पनिक व झूठे तथ्यों के आधार पर प्राप्त कर लेना का भी आक्षेप किया है, और उसमें वादी क्रमांक 02 लगायत 08 के पक्षकार न होने का भी बिन्दु उठाया गया है तथा उसके संबंध में मौखिक साक्ष्य में नागेशसिंह वा०सा०-01 फूलसिंह वा०सा०-02 और रघुवीरसिंह वा०सा०-03 का अभिसाक्ष्य कराया गया है, जिनमें से कोई भी पूर्व प्रकरण का पक्षकार या साक्षी नहीं है। जहां तक पूर्व डिक्री के बोगस या शून्यकरणीय होने का बिन्दु है उसके संबंध में न तो स्पष्ट अभिवचन है, न साक्ष्य है और मूल वाद में छल कपट के बिन्दु का भी कोई अभिवचन नहीं है, जबकि ऐसी डिक्री जो गुणदोषों पर हुई हो उसे छल-कपट के आधार पर ही चुनौती दी जा सकती है, अन्य आधारों पर नहीं दी जा सकती है। जैसा कि न्याय दृष्टांत **ए०ए० गोपाल कृष्णनन विरुद्ध कोचीन देवलोग बोर्ड एवं अन्य 2008 एवं अन्य 2008 भाग-01 एम०पी०एल०डी० पैज-235** माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिद्धांत प्रतिपादित करते हुए बताया है, कि धोखाधड़ी/साठगांठ के आक्षेप के आधार पर चुनौती दी जा सकती है, जबकि विचाराधीन मामले में ऐसा नहीं है, अभिवचनों में ऐसा भी आधार नहीं बताया गया है, कि पूर्व डिक्री का उन्हें पता नहीं था और निष्पादन कार्यवाही के माध्यम से ही पता चला हो। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलोच्य निर्णय में पूर्व न्याया के सिद्धांत (Principle of Resjudiceta) सार रूप में लागू माना है, जिसे अपील में चुनौती दी गयी है और यह आधार लगाया है, कि वादी क्रमांक 02 लगायत 08 पूर्व वाद में पक्षकार नहीं थे, पूर्व न्याय

के सिद्धांत को (Principle of Resjudiceta) सी०पी०सी० की धारा-11 में परिभाषित किया गया है, जिसमें यह स्पष्ट प्रावधान है, कि कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवादक का विचारण नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्हीं पक्षकारों के बीच के या ऐसे पक्षकारों के बीच के, जिनसे व्युत्पन्न अधिकारों के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं, किसी पूर्ववर्ती वाद में भी ऐसे न्यायालय में प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद रहा है जो ऐसे पश्चातवर्ती वाद का या उस वाद का जिसमें ऐसा विवाद क वाद में उठाया गया है, विचारण करने के लिए सक्षम था और ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है और अंतिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है।

स्पष्टीकरण 1— “पूर्ववर्ती वाद” पद ऐसे वाद का द्योतक है जो प्रश्नगत वाद के पूर्व ही विनिश्चित किया जा चुका है, चाहे वह पूर्व संस्थिति किया गया हो गया नहीं।

स्पष्टीकरण 2— इस धारा के प्रयोजनों के लिए, न्यायालय की सक्षमता का अवधारण ऐसे न्यायालय के विनिश्चय से अपील करने के अधिकार विषयक किन्हीं उपबन्धों का विचार किए बिना किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 3— ऊपर निर्देशित विषय का पूर्ववर्ती वाद में एक पक्षकार द्वारा अभिकथन ओर दूसरे द्वारा अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से प्रत्याख्यान या स्वीकृति आवश्यक है।

स्पष्टीकरण 4— ऐसे किसी भी विषय के बारे में, जो ऐसे पूर्ववर्ती वाद में प्रतिरक्षा या आक्रमण का आधार बनाया जा सकता था और बनाया जाना चाहिए था, या समझा जाएगा कि वह ऐसे वाद में प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद रहा है।

स्पष्टीकरण 5— वादपत्र में दावा किया गया कोई अनुतोष, जो डिक्री द्वारा अभिव्यक्त रूप से नहीं दिया गया है, इस धारा के प्रावधानों के लिए नामंजूर कर दिया समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण 6— जहां कोई व्यक्ति किसी लोक अधिकार के या किसी ऐसे प्राइवेट अधिकार के लिए सद्भावपूर्वक मुकदमा करते हैं, जिसका वे अपने लिए और अन्य व्यक्तियों के लिए सामान्यतः दावा करते हैं वहां ऐसे अधिकार से हितबद्ध सभी व्यक्तियों के बारे में इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा, कि वे ऐसे मुकदमा करने वाले व्यक्तियों से व्युत्पन्न अधिकारों के अधीन दावा करते हैं।

स्पष्टीकरण 7— इस धारा के उपबन्ध किसी डिक्री के निष्पादन के लिए कार्यवाही को लागू होंगे और इस धारा में किसी वाद, विवादक या पूर्ववर्ती वाद के प्रति निर्देशों का अर्थ क्रमशः उस डिक्री के निष्पादन के लिए कार्यवाही, ऐसी कार्यवाही में उठने वाले प्रश्न और डिक्री के निष्पादन के लिए पूर्ववर्ती कार्यवाही के प्रति निर्देशों के रूप में लगाया जाएगा।

स्पष्टीकरण 8— कोई विवादक जो सीमित अधिकारिता वाले किसी न्यायालय द्वारा, जो ऐसा विवादक विनिश्चित करने के लिए सक्षम है, सुना

गया है और अंतिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है, किसी पश्चातवर्ती वाद में पूर्व-न्याय के रूप से इस बात के होते हुए भी प्रवृत्त होगा कि सीमित अधिकारिता वाला ऐसा न्यायालय ऐसे पश्चातवर्ती वाद का या वाद का जिसमें ऐसा विवाद्यक वाद में उठाया गया है विचारण करने के लिए सक्षम नहीं था।

15. पूर्व न्याय के सिद्धांत (Principle of Resjudiceta) के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **स्कोर्ड फार्म लिमिटेड विरुद्ध कमिशनर ऑफ कुमाऊ डिवीजन नैनीताल ए 0आई0आर0 2004 एस0सी0 पेज 2186** में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है, कि पूर्व न्याय सिद्धांत (Principle of Resjudiceta) का तात्पर्य यह है, कि वह विवाद्यक (इश्यूज) जिसमें अंतिमता प्राप्त कर ली है तो उसे पुनः उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा अन्य न्याय दृष्टांत **स्टेट ऑफ महाराष्ट्र विरुद्ध प्रभाकर भिकाजी इंग्ले 1997 भाग-01 एम0पी0डब्लू0एन0 (एस0सी0) शॉर्टनोट-63** में यह प्रतिपादित किया है, कि पूर्व न्याय का सिद्धांत (Principle of Resjudiceta) लोकनीति पर आधारित होता है और वह तंग करने के निवारण के लिए है। एक अन्य न्याय दृष्टांत **ए0जे0आर0 1966 सुप्रीम कोर्ट 1061 स्टेट ऑफ पश्चिम बंगाल विरुद्ध हेमंत कुमार भट्टाचार्य** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है, कि यदि प्रश्नगत बिन्दु का निराकरण अधिकारिता विहीन न्यायालय द्वारा भी किया गया हो, तो भी पूर्व न्याय का सिद्धांत (Principle of Resjudiceta) जब तक लागू रहेगा तब तक कि ऐसे आदेश को निरस्त नहीं किया जाता है, हस्तगत मामले में पूर्व निर्णित सिविल वाद क्रमांक 54ए/01 निर्णय डिक्री दिनांक 28/06/03 अभी भी अस्तित्व में है इसलिए वादी/अपीलार्थी क्रमांक 02 लगायत 08 का पूर्व प्रकरण में पक्षकार न होने का कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि प्रत्यक्षतः और सारतः मूल विवाद पूर्व में जिन पक्षकारों के मध्य निराकृत हुआ है अर्थात् बाबूलाल, कप्तानसिंह और प्रहलाद सिंह के मध्य हुआ है और वादी/अपीलार्थी क्रमांक 02 लगायत 08 कप्तान सिंह के व्युत्पन्न अधिकारों के अधीन आते हैं, ऐसे में प्रकरण में पूर्व न्याय का सिद्धांत (Principle of Resjudiceta) लागू होता है।

16. न्याय दृष्टांत **कामता विरुद्ध अरविंद 2011 भाग-03 एम0पी0एल0जे0 पेज 511** में निष्पादित कार्यवाही में आपत्ति के संबंध में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है, कि निष्पादन कार्यवाही में आपत्ति करने वाले और निष्पादन में अवरोध पैदा करने वाले पक्षकारों द्वारा उठाये गये बिन्दुओं का निराकरण निष्पादन कार्यवाही में ही होगा। प्रथम से वाद लाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लाया गया वाद ही व्यर्थ था, बल्कि निष्पादन कार्यवाही में आपत्तियों का निराकरण करना चाहिए था। इस प्रकार से पूर्व न्याय के सिद्धांत (Principle of Resjudiceta) को

देखते हुए प्रस्तुत सिविल अपील इसी आधार पर निरस्ती योग्य हो जाती है।

17. जहां तक अभिलेख पर आई अन्य मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का प्रश्न है, वादीगण/अपीलार्थीगण की ओर से जो मौखिक साक्ष्य पेश की गयी है, उसमें स्वयं वादी की हैसियत रखने वाले नागेश वा०सा०-01 ने अपने अभिसाक्ष्य के पैरा-05 में यह स्वीकार किया है, कि पूर्व प्रकरण में जो भूमि विवादित थी, वही भूमि इस प्रकरण में भी विवादित है, और उसे प्र०पी०-03 के निर्णय डिक्री की भी जानकारी है, जिसमें उसका पिता कप्तान हार गया था और प्रत्यर्थी बाबूलाल के पक्ष में फैसला हुआ था। इसके बावजूद भी उसे चुनौती अपील के माध्यम से निर्धारित समय अवधि में नहीं दी गयी, साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है, कि उनका मकान ग्राम टेटोन के अंदर बना हुआ है, इस बात को वादी के अन्य साक्षी फूलसिंह वा०सा०-02 ने पैरा-02 में भी स्वीकार किया है और रघुवीर सिंह वा०सा०-03 ने भी पैरा-02 में स्वीकार किया है। नागेश वा०सा०-01 ने पूर्व प्रकरण में अपने पिता कप्तान सिंह के हारने का कारण समझौता होना बताया है, जिस पर से यदि यह निष्कर्ष निकाला जाये कि पूर्व डिक्री वहमी समझौते के आधार पर हुई तो फिर उसे शून्यकरणीय बताने या बोगस बताने का आधार स्वतः ही समाप्त हो जाता है, इस लिए मौखिक साक्ष्य वादीगण/अपीलार्थीगण के वाद आधारों का समर्थन करने हेतु पर्याप्त व सुदृढ नहीं है।

18. जहां तक तहसीलदार की कब्जे संबंधी जांच रिपोर्ट का प्रश्न है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख पर पेश किया गया है, किंतु प्रदर्श अंकित नहीं कराया है, यदि उस पर न्यायिक नोटिस भी लिया जाये, तब भी तहसीलदार गोहद वृत्त एण्डोरी की जांच रिपोर्ट दिनांकित 10/02/11 जो निष्पादन कार्यवाही में पेश होना बताई गई है, उसमें तहसीलदार ने स्वयं कोई जांच नहीं की है, बल्कि राजस्व निरीक्षक के द्वारा बताया गया था, कि सर्वे क्रमांक 1939 जिसका कुल रकवा 0.06 हेक्टे० है, उसमें से रकवा 0.03 हेक्टे० में मकान चालीस साल पुराना कप्तान सिंह का बना हुआ है, शेष रकवा खाली है और सर्वे क्रमांक 1940 के रकवे में से 0.26 हेक्टे० पडत एवं रकवा 0.02 हेक्टे० पर आलू की फसल तथा रकवा 0.02 हेक्टे० में गेहूं की फसल बताई है, जिसके आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि अभिलेख पर ऐसी साक्ष्य नहीं है, कि कब्जा किसका था तथा राजस्व निरीक्षक जो मकान और कब्जा बता रहा है, वह कौनसा राजस्व निरीक्षक है उसे वादीगण/अपीलार्थीगण साक्ष्य में पेश करने की कार्यवाही कर सकते थे लेकिन वह नहीं की गई इसलिए उक्त दस्तावेज के आधार पर कोई निष्कर्ष न्यायिक नोटिस लेते हुए भी नहीं निकाला जा सकता है, तथा इस बारे में स्वयं वादीगण/अपीलार्थीगण के मौखिक साक्ष्य जिस पर वह विश्वास कर रहे हैं वह विरोधाभासी है, क्योंकि तीनों की साक्षी

आवासीय मकान गांव के अंदर बताते है।

19. आदेश 39 नियम 2 (क) सी०पी०सी० की जिस कार्यवाही को मूल वाद में चुनौती दी गयी है उसका कोई आदेश या दस्तावेज वादी/अपीलार्थी द्वारा प्रकरण में पेश नहीं किया गया है, ना ही कोई राजस्व अभिलेख पेश गया है, इसलिए दावा पूर्व प्र०पी०-01 के नोटिस की कार्यवाही महज औपचारिक ही मानी जायेगी और जो डिक्री मूल वाद के माध्यम से अपीलार्थीगण द्वारा चाही गई है, वह उसे प्राप्त करने के कतई पात्र नहीं है, इसलिए मौखिक साक्ष्य में बाबूलाल प्र०सा०-01 की खण्डन साक्ष्य, जिसमें उसने पूर्व डिक्री विधिवत और सब्यय व सही होकर प्रभावी बताई है, उसके बाबत् उसकी साक्ष्य वादीगण/अपीलार्थीगण की मौखिक साक्ष्य से अधिक प्रबल उपरोक्त परिस्थिति में हो जाती है, ऐसी स्थिति में वादीगण/अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत की गई प्रथम सिविल अपील में कोई विधिक बल नहीं है। फलतः प्रस्तुत सिविल अपील को बाद विचार खारिज करते हुए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय व डिक्री दिनांकित 27/11/14 को स्थिर रखा जाता है, जिसमें मूल वाद को निरस्त किया था।

20. प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए उभयपक्ष अपना-अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे। जिसमें अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर या सूची अनुसार जो भी कम हो जोड़ जावे।

तदनुसार डिक्री तैयार की जावे।

दिनांक- 4 अक्टूबर 2016

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित व
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(पी०सी०आर्य)
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड

(पी०सी०आर्य)
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड